सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 53/15

1. मनजिन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरप्रीतसिंह जाति जटसिख आयु 10 वर्ष
2. कमल पुत्र गुरप्रीतसिंह जाति जटसिख आयु 8 साल
नाबालिगान जरिये माता व वलिया हरप्रीतकौर पत्नी गुरप्रीतसिंह जाति जटसिख निवासी 65 आर बी तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. हरप्रीतकौर पत्नी श्री गुरप्रीतसिंह पुत्री श्री अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी जानकीदासवाला तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
2. सुरजीतकौर पत्नी दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 65 आर बी तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरप्रीतसिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 65 आर बी तहसील रायसिंहनगर।
4. गुरविन्द्रसिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी 65 आर बी तहसील रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 235 दिनांक 24–06–15
तहसीलदार, रायसिंहनगर

उपस्थित : **1.श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण**
2.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1
3. रेस्पो0 सं0 2 से 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

दिनांक : 28–03–16

आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस के दादा स्व0 दर्शनसिंह को अपने पिता स्व. गुरख्खणसिंह से अन्य सम्पति के अलावा चक 65 आर बी तह0 रायसिंहनगर के खाता सं0 39/35, मु0 नं0 24, 25, 38, 46, 47 की कुल 12.310 है0 में से 1/3 हिस्सा विरासतन मिला, जिसमें अपीलांटस के पिता रेस्पो0 सं0 3 का जन्म से हक व हिस्सा बना तथा जद्दी जायदाद होने से अपीलांट चौथी पीढी में होने के कारण जन्म से ही हक एवं हिस्सा बना। अपीलांटस के पिता ने अपनी माता रेस्पो0 सं0 2 के प्रभापव में होने के कारण अपीलांटस की माता को गत करीब 4–5 साल से छोड़ रखा है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

तथा मुकदमेंबाजी चल रही है। रेस्पो0 सं0 2 रेस्पो0 सं0 2 के साथ रहता है। अपीलांटस के दादा की उक्त भूमि में से रेस्पो0 सं0 3 के द्वारा अपने भाई गुरविन्द्रसिंह के साथ मिलकर अपीलांटस को अपने हक से वंचित करने की नियत से कथित दस्तबदारी दिनांक 16–6–15 को रेस्पो0 सं0 2 के हक में करवाई जो प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण सक्षम न्यायालय में चुनौति देने हेतु वाद पेश किया गया है तथा उक्त गलत दस्तबदारी के आधार पर अपीलकृत इंतकाल तस्दीक करवाया गया है। विवादित भूमि पर कब्जा मुश्तर्का है। अतः कब्जा के अभाव में रेस्पो0 सं0 2 के हक में इंतकाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका किसी भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलांटस प्रभावित पक्षकार थे, उनको न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही सुना गया और सारी कार्यवाही चुपचाप जल्दबाजी में की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल नियमों की पालना नहीं की है। न ही लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई है। कानूनन नाबालिगान की भूमि के संबंध में केवल सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति लेकर ही दस्तावेज तहरीर करवाया जाता है मगर ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई।अपीलांट सं0 3 का तीन साल से पति–पत्नी का विवाद चल रहा है। अपीलांट सं0 3 ने खर्चे के लिए 125 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत केस दायर कर रखा है, जिसमें खर्चे के मुकदमें को निष्प्रभावी बनाने के लिए रेस्पो0 सं0 3 ने अपने हिस्से की भूमि की दस्तबदारी अपनी माता के नाम से करवाई है ताकि खर्चा न देना पड़े। उसके पति के नाम इस भूमि के सिवाय कोई अन्य जमीन नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील बाद रिपोर्ट दर्ज रजि0 की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 4 बावजूद तामील उपस्थित न होने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि विवादित भूमि पर कब्जा मुश्तर्का है। अतः कब्जा के अभाव में रेस्पो0 सं0 2 के हक में इंतकाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका किसी भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलांटस प्रभावित पक्षकार थे, उनको न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही सुना गया और सारी कार्यवाही चुपचाप जल्दबाजी में की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल नियमों की पालना नहीं की है। न ही लैण्ड रेकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई है। कानूनन नाबालिगान की भूमि के संबंध में केवल सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति लेकर ही दस्तावेज तहरीर करवाया जाता है मगर ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई। अपीलांट सं0 3 का तीन साल से पति–पत्नी का विवाद चल रहा है। अपीलांट सं0 3 ने खर्चे के लिए 125 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत केस दायर कर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

रखा है, जिसमें खर्चे के मुकदमें को निष्प्रभावी बनाने के लिए रेस्पो0 सं0 3 ने अपने हिस्से की भूमि की दस्तबदारी अपनी माता के नाम से करवाई है ताकि खर्चा न देना पड़े। उसके पति के नाम इस भूमि के सिवाय कोई अन्य जमीन नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि राजस्व लोक अदालत अभियान –न्याय आपके द्वार –वर्ष 2015 के अन्तर्गत पंजीबद्व दस्तबदारी के आधार पर अपीलकृत इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है, लेकिन अपीलाधीन रकबा मुश्तर्का है और कब्जा भी मुश्तर्का होना कथन किया है । अपीलांटस प्रभावित पक्षकार थे, उनको विधिवत् सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही विधिवत् सुना गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारान की विधिवत् सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–4–16 को उपस्थित हो। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 28–3–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)